**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**
**15.12.2023 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1561 का उत्तर**

**एसबीएफ द्वारा कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता**

**1561 श्री राम नाथ ठाकुरः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) 'स्टाफ बेनिफिट फंड' (एसबीएफ) से कैंसर रोगियों को भुगतान के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और अप्रैल 2022 से 15 अक्तूबर, 2023 के दौरान उत्तर पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे में एसबीएफ से सहायता प्राप्त करने वाले कैंसर रोगियों की कुल संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*******

s.k

एसबीएफ द्वारा कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता के संबंध में दिनांक 15.12.2023 को राज्य सभा में श्री राम नाथ ठाकुर के अतारांकित प्रश्न सं. 1561 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क): कैंसर सहित लंबी बीमारी/गंभीर बीमारियों के मामलों में, राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारी लाभ निधि (एसबीएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कर्मचारी वेतन लेवल वेतन मैट्रिक्स (7वें सीपीसी) के लेवल 1 से 7 में होना चाहिए और एसबीएफ से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक चिकित्सा रिकॉर्ड और इसमें शामिल व्ययों के विवरण के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसे डाक्टरों की जांच के लिए रेलवे अस्पताल में भेजा जाता है और प्राप्त सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारी लाभ निधि समिति एसबीएफ से भुगतान के लिए स्वीकृति आदेश जारी करती है।

(ख): विवरण निम्नानुसार है:

| वित्त वर्ष | पूर्वोत्तर रेलवे | पूर्व मध्य रेलवे |
|---|---|---|
| 2020-21 | 08 | 98 |
| 2021-22 | 16 | 101 |
| 2022-23 | 20 | 92 |
| अप्रैल 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक | 19 | 36 |
| कुल | 63 | 327 |

*****

s.k